(12)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/42/2015	02–12–2015	29–10–2018

1–कजोड़ पुत्र स्व0 रामजीलाल सैनी जाति माली निवासी नीलधर की कोठी, वार्ड नं0 1, राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान।

अपीलान्ट

बनाम

1–रमेश दत्तक पुत्र नारायण सैनी जाति माली निवासी जयपुरा हाल नीलधर की कोठी, वार्ड नं0 1, राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान।
2–हरिया पुत्र स्व0 रामजीलाल सैनी जाति माली नीलधर की कोठी, वार्ड नं0 1, राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान।
3–श्रीमति लक्ष्मी बेवा स्व0 रामजीलाल सैनी जाति माली नीलधर की कोठी, वार्ड नं0 1, राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान।
4–श्रीमति चमलो पुत्री स्व0 रामजीलाल सैनी पत्नी मांगीलाल जाति माली निवासी राजगढ़ हाल निवासी गजरूढ की खान माचाडी, राजगढ़ जिला अलवर।
5–श्रीमति मौसम पुत्री स्व0 रामजीलाल सैनी पत्नी लालाराम सैनी जाति माली निवासी राजगढ हाल निवासी देवी की कोठी, बरखेडा जिला अलवर
6–श्रीमति तीज़ा पुत्री स्व0 रामजीलाल सैनी पत्नी मोहनलाल सैनी जाति माली निवासी राजगढ हाल निवासी डेरा, तह0 राजगढ़ जिला अलवर।
7–श्रीमति सोनी पुत्री स्व0 रामजीलाल सैनी पत्नी रामनिवास सैनी जाति माली निवासी राजगढ हाल निवासी गढ़ बिजारी तहसील राजगढ जिला अलवर।

रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार राजगढ़ का निर्णय दिनांक 29.01.2007 नामान्तकरण संख्या 672 ग्राम कारोठ, तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0

उपस्थित:–
01. श्री भीमसैन विजय –वकील अपीलान्टस

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ़ के आदेश दिनांक 29.01.2017 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 672 ग्राम कारोठ तहसील राजगढ़ जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपील अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1093/0.22, 1094/0.25, 1095/0.27, 1099/0.09, 1100/0.04, 1101/0.03, 1102/0.26, 1103/0.02 किता 8 रकबा 1.18 है0 वाके नीलधर की कोठी तन कारोठ तहसील राजगढ मे स्थित है। उपरोक्त आराजी के 1/4 हिस्से पर रामजीलाल पुत्र गंगल्या जाति माली तथा शेष 3/4 हिस्से पर किशोर पुत्र नारायण, पूरण पुत्र नारायण, हरफूल पुत्र गंगल्या, नहन्या पुत्र गंगल्या जाति माली खातेदार है। अपीलार्थी व रैस्पो0 1 व 2 रामजीलाल के पुत्र है, रैस्पो0 3 रामजीलाल की पत्नी है तथा रैस्पो0 4 लगा0 7 रैस्पो0 की पुत्रीयां है। रामजीलाल का स्वर्गवास होने के उपरांत नामान्तरकरण संख्या 672 रामजीलाल के

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

(13)

वारिसान मानते हुए दर्ज किया है। जबकि रैस्पो0 1 रमेश को नारायण पुत्र टुण्डा जाति माली निवासी जयपुरा तह0 बसवा जिला दौसा ने गोद ले लिया था। उक्त गोदनामा दिनांक 12.01.2007 को तहरीर कर दिनांक 15.01.2007 को उप–पंजीयक के यहां पंजीकृत करा दिया। रैस्पो0 1 को हमारे पिता ने नारायण माली को गोद ले लिया इसलिए हमारे पिता की चल–अचल सम्पत्ति पर रैस्पो0 1 को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रैस्पो0 1 रामजीलाल का वारिस मानते हुए उक्त नामान्तरकरण दर्ज व स्वीकार कर लिया। उपरोक्त आराजी अबट है। जिस पर अपीलार्थी व रैस्पो0 2 व 3 काबिज है, रैस्पो0 4 लगा0 7 की शादी होने के कारण अपने ससुराल मे रहती है। रैस्पो0 1 उक्त आराजी को बेचने की जुस्तजू में है। रैस्पो0 1 बहुत चालाक व्यक्ति है व अन्य रैस्पो0 को अपीलार्थी के विरूद्ध भडकाता रहता है तथा अपीलार्थी को उक्त आराजी से बेदखल करने पर उतारू है। अगर रैस्पो0 ने ऐसा कर दिया तो अपीलार्थी को नापूर्ति होने वाला नुकसान होगा। रैस्पो0 1 द्वारा पटवारी से मिलकर नियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 672 में अपना नाम रामजीलाल के वारिस के रूप में दर्ज करा दिया, जबकि पहले ही नारायण पुत्र टुण्डा माली के गोद चला गया था तथा नारायण की चल–अचल सम्पत्ति पर काबिज है। रैस्पो0 1 का नाम उक्त नामान्तरकरण से हटाया जाना आवश्यक है। रैस्पो0 1 रमेशचन्द को नारायण द्वारा गोदनामे के बारे मे अपीलार्थी को दिनांक 27.02.2012 को रैस्पो0 1 के द्वारा बताये जाने पर पता चला जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 27.02.2012 को गोदनामे की सत्यप्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया। नकल दिनांक 28.02.2012 को प्राप्त हुई। जिससे अन्दर अवधि अपील पेश है तथा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा0पत्र अलग से पेश किया गया है। अतः अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ के आदेश दिनांक 29.01.2007 नामान्तरकरण संख्या 672 वाके ग्राम कारोठ को निरस्त कर रमेश का नाम हटा कर पुनः इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 29.01.2007 के विरूद्ध दिनांक 05.03.2012 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 5 वर्ष 1 माह से अधिक विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब की अवधि असाधारण नही है फिर भी प्रार्थना पत्र दफा–5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुये विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि नारायण पुत्र टुण्डा द्वारा रैस्पो0 1 रमेश को गोदनामा दिनांक 12.01.2007 को तहरीर किया जाकर दिनांक 15.01.2007 को पंजीकृत हुआ है। जबकि विरासत का नामान्तरकरण संख्या 672 पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 30.12.2006 को ही दर्ज कर दिया गया। स्पष्ट है कि नारायण पुत्र टुण्डा द्वारा रैस्पो0 1 रमेश को गोदनामा नामान्तरकरण संख्या 672 दर्ज होने के बाद किया गया है। अतः नामान्तरकरण दर्ज करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रूटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक **29–10–2018** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)